संलग्नक (4)

संख्या 7778/15151/84-342/84

प्रेषक,

श्री राज नारायण सक्सेना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार

सेवा में,

शिक्षा निदेशक एवं अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,
लखनऊ

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 7-12- ~~अक्टूबर~~ 1984

विषय :- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में उर्दू अध्यापक के पदों हेतु चयन।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या 7320क/15151/84-342/84 दिनांक 15 अक्टूबर 1984, जिसके द्वारा उर्दू अध्यापकों के 5000 पद सृजित किये गये हैं, की ओर आकर्षित करते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश में यह कहा गया है कि उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता [illegible] (उर्दू) प्रशिक्षित होगा। इस सम्बन्ध में यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि उर्दू अध्यापकों के पदों हेतु निर्धारित प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी कतिपय जनपदों में आवश्यकतानुसार/उपलब्ध न हो सकें। अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

(1) यदि किसी जनपद के परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों के लिये उपरोक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत उर्दू अध्यापकों के पदों में से कुछ पद इस कारण न भरे जा सकें कि इस जनपद से निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं है तो अवशेष पदों